

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 828/2024

अनवान : -

- 1- इन्द्रा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 2- सुरेन्द्र कुमार पुत्र निहाल सिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 3- विकास कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

— वादीगण

बनाम

- 1- इन्द्रजीत पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 2- ओमप्रकाश पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 3- करनेलसिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 4- कुलदीपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 5- कृष्णलाल पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 6- गुडी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 7- जगदीश चन्द्र पुत्र श्रीचन्द्र जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 8- देवीराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 9- भादरराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 10- सन्तोष पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 11- सुरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 12- हवासिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 13- कलावती पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 14- भादो देवी पुत्री रामप्यारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 15- सिलोचना पुत्री भतेरी पुत्री रामप्यारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 16- राधेश्याम पुत्र भतेरी पुत्र रामप्यारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 17- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 5/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि कृषि भूमि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 153/152 के कुल खसरे 36 की 7.0840 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

जमाबंदी में दर्ज रामप्यारी पत्नी मनफुल का स्वर्गवास हो चुका है इसके बारिसान करनेल सिंह, कलावती, गुड्डी, भादरराम, सन्तोष, हवासिंह का नाम पहले से जमाबंदी में दर्ज है


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा जो दावा में पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 जिनका नाम जमाबंदी में पहले से दर्ज नहीं है इनको पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 6, 10, 13, 14 जो कि प्रतिवादी संख्या 3, 9, 12 की बहिने है तथा उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 15, 16 जो कि प्रतिवादी संख्या 3, 9, 12 की मृतक बहिन भतेरी के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है इसलिए अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने मामा प्रतिवादी संख्या 3, 9, 12 के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 6, 10, 13, 14, 15, 16 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग प्रतिवादी संख्या 3, 9, 12 काबिज हैं। उपरोक्त भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनाम से बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 153/152 के कुल खसरे 36 की 7.0840 है0 भूमि के प0 नं0 335/372 (45) के किला नं. 6/2 की 0.2150 है0 के मिन उत्तर की 0.1075 है0 7/1 की 0.102 है0, 7/2 की 0.1510 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.0245 है0, 8/1 की 0.076 है0, 8/2 की 0.1770 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.0505 है0 कुल 0.3605 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7, व 11 प्रत्येक 0.0506 है0 भूमि पर काबिज है व 0.0126 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 काबिज है व 0.038 है0 पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है व 0.014 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 व 9 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 0.0366 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 12 काबिज है व 0.0063 है0 पर वादी संख्या 3 काबिज है शेष भूमि में से 1.6571 है0 भूमि पर वादीया संख्या 1 काबिज है व 2.03035 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है व 3.03605 है0 भूमि पर वादी संख्या 3 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 16 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 17 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।


 उपर्युक्त अधिकारी
 नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि जमाबंदी में दर्ज रामप्यारी पत्नी मनफुल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान करनेल सिंह, कलावती, गुड्डी, भादरराम, सन्तोष, हवासिंह का नाम पहले से जमाबंदी में दर्ज है तथा जो दावा में पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 जिनका नाम जमाबंदी में पहले से दर्ज नहीं है इनको पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 6, 10, 13, 14 जो कि प्रतिवादी संख्या 3, 9, 12 की बहिने है तथा उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 15, 16 जो कि प्रतिवादी संख्या 3, 9, 12 की मृतक बहिन भतेरी के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है इसलिए अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने मामा प्रतिवादी संख्या 3, 9, 12 के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 6, 10, 13, 14, 15, 16 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग प्रतिवादी संख्या 3, 9, 12 काबिज हैं। उपरोक्त भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनाम से बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 153/152 के कुल खसरे 36 की 7.0840 है0 भूमि के प0 नं0 335/372 (45) के किला नं. 6/2 की 0.2150 है0 के मिन उत्तर की 0.1075 है0 7/1 की 0.102 है0, 7/2 की 0.1510 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.0245 है0, 8/1 की 0.076 है0, 8/2 की 0.1770 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.0505 है0 कुल 0.3605 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7, व 11 प्रत्येक 0.0506 है0 भूमि पर काबिज है व 0.0126 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 काबिज है व 0.038 है0 पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है व 0.014 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 व 9 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 0.0366 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 12 काबिज है व 0.0063 है0 पर वादी संख्या 3 काबिज है शेष भूमि में से 1.6571 है0 भूमि पर वादीया संख्या 1 काबिज है व 2.03035 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है व 3.03605 है0 भूमि पर वादी संख्या 3 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 153/152 के कुल खसरे 36 की 7.0840 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि जमाबंदी में दर्ज रामप्यारी पत्नी मनफुल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान करनेल सिंह,

कलावती, गुड्डी, भादरराम, सन्तोष, हवासिंह का नाम पहले से जमाबंदी में दर्ज है तथा जो दावा में पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 जिनका नाम जमाबंदी में पहले से दर्ज नहीं है इनको पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 6, 10, 13, 14 जो कि प्रतिवादी संख्या 3, 9, 12 की बहिने है तथा उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 15, 16 जो कि प्रतिवादी संख्या 3, 9, 12 की मृतक बहिन भतेरी के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है इसलिए अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने मामा प्रतिवादी संख्या 3, 9, 12 के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 6, 10, 13, 14, 15, 16 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग प्रतिवादी संख्या 3, 9, 12 काबिज हैं। उपरोक्त भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनाम से बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 153/152 के कुल खसरे 36 की 7.0840 है० भूमि के प० नं० 335/372 (45) के किला नं. 6/2 की 0.2150 है० के मिन उत्तर की 0.1075 है० 7/1 की 0.102 है०, 7/2 की 0.1510 है० भूमि में से मिन उत्तर की 0.0245 है०, 8/1 की 0.076 है०, 8/2 की 0.1770 है० भूमि में से मिन उत्तर की 0.0505 है० कुल 0.3605 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7, व 11 प्रत्येक 0.0506 है० भूमि पर काबिज है व 0.0126 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 काबिज है व 0.038 है० पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है व 0.014 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 व 9 ब० हि० ब० काबिज है व 0.0366 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 12 काबिज है व 0.0063 है० पर वादी संख्या 3 काबिज है शेष भूमि में से 1.6571 है० भूमि पर वादीया संख्या 1 काबिज है व 2.03035 है० भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है व 3.03605 है० भूमि पर वादी संख्या 3 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 153/152 के कुल खसरे 36 की 7.0840 है० भूमि में से मृतक रामप्यारी पत्नी मनफुल व प्रतिवादी संख्या 6, 10, 13 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 335/372 (45) के किला नं. 6/2 की 0.2150 है० के मिन उत्तर की 0.1075 है० 7/1 की 0.102 है०, 7/2 की 0.1510 है० भूमि में से मिन उत्तर की 0.0245 है०, 8/1 की 0.076 है०, 8/2 की 0.1770 है० भूमि में से मिन उत्तर की 0.0505 है० कुल 0.3605 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7, व 11 प्रत्येक के 0.0506 है० भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.0126 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.038 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.014 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व

9 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.0366 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.0063 है0 भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि में से 1.6571 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसमे वादी संख्या 1 का नाम इन्द्रा पत्नी सुरेन्द्र कुमार का संशोधन किया जाता है व 2.03035 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 3.04235 है0 भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जाकर वादीगण का खाता व लगान अलग से दर्ज किया जाता है। एयदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 828/2024

अनवान : -

- 1- इन्द्रा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 2- सुरेन्द्र कुमार पुत्र निहाल सिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 3- विकास कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

— वादीगण

बनाम

- 1- इन्द्रजीत पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 2- ओमप्रकाश पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 3- करनेलसिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 4- कुलदीपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 5- कृष्णलाल पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 6- गुडी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 7- जगदीश चन्द्र पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 8- देवीराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 9- भादरराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 10- सन्तोष पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 11- सुरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 12- हवासिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 13- कलावती पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 14- भादो देवी पुत्री रामप्यारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 15- सिलोचना पुत्री भतेरी पुत्री रामप्यारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 16- राधेश्याम पुत्र भतेरी पुत्र रामप्यारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
- 17- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 828 सन 2024 निर्णय दिनांक 05/9/2024


आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 153/152 के कुल खसरे 36 की 7.0840 है० भूमि में से मृतक रामप्यारी पत्नी मनफुल व

Al

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 6, 10, 13 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 335/372 (45) के किला नं. 6/2 की 0.2150 है0 के मिन उत्तर की 0.1075 है0 7/1 की 0.102 है0, 7/2 की 0.1510 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.0245 है0, 8/1 की 0.076 है0, 8/2 की 0.1770 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.0505 है0 कुल 0.3605 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7, व 11 प्रत्येक के 0.0506 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.0126 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.038 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.014 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 9 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.0366 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.0063 है0 भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि में से 1.6571 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसमे वादी संख्या 1 का नाम इन्द्रा पत्नी सुरेन्द्र कुमार का संशोधन किया जाता है व 2.03035 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 3.04235 है0 भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जाकर वादीगण का खाता व लगान अलग से दर्ज किया जाता है। एयदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/9/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर